बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० ~~9473101199~~, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजयनन्द वार्डियार
* अखिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक : 40 दिनांक 13/9/2013

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः- रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 की वित्त विभाग द्वारा गलत व्याख्या करने के संबंध में।

प्रसंगः- वित्त विभाग के पत्रांक-5153 दिनांक-21.05.13

महाशय,

उपरोक्त वर्णित पत्र के द्वारा यह आदेश निर्गत हुआ कि PB-2+4800 ग्रेड पे अथवा 5400/- ग्रेड पे नियुक्त राज्य कर्मी 4 वर्ष की संपुष्टि सेवा पूरी होने पर PB-3+5400/- ग्रेड पे में उत्क्रमण एम०ए०सी०पी०एस०, 2010 के तहत एक वित्तीय उन्नयन माना जायेगा।

उपर्युक्त के संबंध में कहना है कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का मूल सिद्धांत ही है कि कर्मियों में नियमित प्रान्नति में विलम्ब (Promotional stagnation) की हताशा को कम करने के लिए उन्हें समय-समय पर वित्तीय उन्नयन दिया जाय। इसी क्रम में पूर्व में सरकार द्वारा कालबद्ध प्रोन्नति, फिर सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं वर्तमान मं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 लायी गई है। वर्तमान योजना में एक ही ग्रेड पे में लगातार 10 वर्ष की सेवा पुर्ण करने पर तथा पूरे सेवा काल में अधिकतम तीन वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया हैं इस योजना में 'उत्क्रम' की योजना के अधीन परिलक्षित किए गए मूल कोटि के उच्चतर कोटि का ग्रेड पे' परिभाषित किया गया है। योजना के अधीन परिशिष्ट-1 में वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने की शर्त्त एवं प्रक्रिया में भी वित्त विभाग के वेतन पुनरीक्षण संकल्प संख्या-630 दिनांक-21 जनवरी 2010 की अनुसूचित-1 में वर्णित ग्रेड पे की श्रृखंला में महज ऊपर के ग्रेड पे में वित्तीय उन्नयन दिए जाने की व्याख्या की गई है। छठे वेतन आयोग के आलोक में गठित वेतन समिति की अनुशंसा के अनुरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को पे- बैंड 2 और ग्रेड पे 5400 (चार वर्ष की सेवा एवं सेवा सम्पुष्टि के पश्चात् पे-बैंड-3 और ग्रेड पे 5400) अनुमान्य किया गया है। इस योजना में कहीं भी पे-बैंड का नामांकरण के बदलाव को वित्तीय उन्नयन परिभाषित नहीं किया गया है जो कि उचित भी है क्योंकि जबतक किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं मिलता हो तो उसे वित्तीय उन्नयन नहीं माना जा सकता है। परन्तु इसे लागू करने के क्रम में वित्त विभाग के पत्रांक-3ए-9-विविध-

83/2009-8710 दिनांक- 19.09.2010 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा में पदाधिकारियों के लिए रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 की दोषपूर्ण व्याख्या करते हुए एक ही ग्रेड पे -5400 में 14 वर्ष की सेवा के उपरांत पहला वित्तीय उन्नयन ग्रेड पे 6600 अनुमान्य किया गया हैं तथा पूरे सेवा काल में तीन की जगह केवल दो वित्तीय उन्नयन यथा ग्रेड पे- 6600 एवं 7600 ही अनुमान्य किया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों वर्तमान में पे बैंड 2 एवं ग्रेड पे 5400 पर नियुक्त हो रहे हैं तथा उनको प्रथम नियुक्ति की तिथि को बैड पे 14880 एवं ग्रेड पं 5400 प्राप्त हो रहा है चार वर्षो की सेवा अवधि के बाद चार वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त इनका बैंड वेतन 17440 हो जाता है जो कि पे बैंड 3 के न्यूनतम वेतन सीमा 15600 से अधिक है। इसीलिए पे बैंड 2 से पे बैंड 3 में वेतन परिवर्तन के वक्त किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को नहीं प्राप्त होता है। साथ ही उनका ग्रेड पे भी 5400 ही रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में वित्त विभाग के उपर्युक्त वर्णित दिनांक-21.05.13 के पत्र में मूल कोटि में पी०बी० 2+5400 से चार वर्ष की सेवा के बाद पी०बी० 3+5400 को प्रथम वित्तीय उन्नयन बताया जाना ना केवल त्रुटिर्पूण है बल्कि एस०ए०सी०पी०एस० के मूल सिद्धांतों के भी विरूद्ध हैं।

इस संदर्भ में संघ के द्वारा पूर्व में पत्रांक-35 दिनांक-26.07.12 द्वारा भवदीय से अनुरोध किया गया। पत्रांक-47 दिनांक-06.09.12 द्वारा माननीय उपमुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया। संघ के पत्रांक-56 दिनांक-10.10.12 से माननीय मुख्यमंत्री को एवं पत्रांक-61 दिनांक-06.11.12 द्वारा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया गया। पुनः इसी मामले में संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को संघ के पत्रांक-04 दिनांक-08.02.13 से अनुरोध किया गया।

भवदीय से अनुरोध होगा कि वित्त विभाग के द्वारा उत्पन्न त्रृटियों को दूर करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन 10 वर्ष के उपरान्त ग्रेड पे 6600 में, दूसरा वित्तीय उन्नयन 20 वर्ष के उपरान्त ग्रेड पे 7600 में तथा तृतीय वित्तीय उन्नयन 30 वर्ष के उपरान्त ग्रेड पे 8700 में देने का निदेश जारी किया जाए। अन्यथा वाध्य होकर संघ को न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुशील कुमार)

महासचिव

ज्ञापांक- 40 दिनांक- 13/9/2013

प्रतिलिपिः- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि भवदीय स्तर से उपरोक्त पर संबंधित को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाए।

ह0/-

(सुशील कुमार)

महासचिव

ज्ञापांक- 40 दिनांक- 13/9/2013

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(सुशील कुमार)

महासचिव

ज्ञापांक- 40 दिनांक- 13/9/2013

प्रतिलिपिः-सम्पादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सुशील 13/09/13

(सुशील कुमार)

महासचिव